

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 53 /2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 82/2017, दिनांक 27 अक्टूबर, जिसे सा.का.नि. 1341 (अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

- (i) क्र०सं०. 23 के समक्ष, कॉलम (2) में "5310" अंकों के लिए, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों "5310(उप शीर्षक 531010 को छोड़कर)" के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ii) क्र०सं० 23 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

"23क	531010	समस्त माल	20%";
------	--------	-----------	-------

- (iii) क्र०सं० 31 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

"31क	540752	समस्त	20% या 38 रू प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो";
------	--------	-------	---

(iv) क्र०सं० 104 के समक्ष, कॉलम (2) में “56” अंकों के लिए, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों “56 (उप-शीर्षक 560130, 560311, 560312, 560314, 560392, 560394 को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्र०सं० 104 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“104क	560130, 560311, 560312, 560314, 560392, 560394	समस्त माल	20%”;
-------	--	-----------	-------

(vi) क्र०सं०.105 के समक्ष, कॉलम (2) में “5701” अंकों के लिए, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों “5701 (उप-शीर्षक 570190 को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्र०सं० 105 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“105क	570190	समस्त माल	20%”;
-------	--------	-----------	-------

(viii) क्र०सं०.106 के समक्ष, कॉलम (2) में “570231” अंकों का लोप किया जाएगा;

(ix) क्र०सं० 106 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“106क	570231	समस्त माल	20%”;
-------	--------	-----------	-------

(x) क्र०सं०.108 के समक्ष, कॉलम (2) में “570241” अंकों का लोप किया जाएगा;

(xi) क्र०सं० 108 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“108क	570241	समस्त माल	20%”;
-------	--------	-----------	-------

(xii) क्र०सं०.109, 115, 116, 117, 118 और 120 के समक्ष, कॉलम (4) में “10%” अंकों के लिए, “20%” अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (xiii) क्र०.सं०.121 के समक्ष, कॉलम (2) में “5705” अंकों के लिए, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों “5705 (उप-शीर्षक 570500 को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiv) क्र०सं० 121 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

121क	570500	समस्त माल	20%
------	--------	-----------	-----

- (xv) क्र०.सं०.150 के समक्ष, कॉलम (2) में “59 (5902 को छोड़कर)” अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के लिए, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों “59 (5902, 5903 और 591000 को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvi) क्र०सं० 151 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“151क	5903	समस्त माल	20%”;
“151ख	591000	समस्त माल	20%”;

- (xvii) क्र०.सं०.163 के समक्ष, कॉलम (4) में “10%” अंकों के लिए, “20%” अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xviii) क्र०.सं०.177 के समक्ष, कॉलम (2) में “6103” अंकों के लिए, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों “6103 (उप-शीर्षक 610333, 610342, 610343 को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xix) क्र०सं० 177 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“177क	610333, 610342, 610343	समस्त माल	20%”;
-------	------------------------	-----------	-------

- (xx) क्र०.सं०.183 के समक्ष, कॉलम (2) में “61044300” अंकों का लोप किया जाएगा;
- (xxi) क्र०सं० 183 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“183क	610443	समस्त माल	20% या 255 ₹0,
-------	--------	-----------	----------------

			जो भी अधिक हो, प्रति नग”;
--	--	--	------------------------------

- (xxii) क्र०.सं०.187 और 188 के समक्ष, कॉलम (4) में “10%” अंकों के लिए, “20%” अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxiii) क्र०.सं०.189 के समक्ष, कॉलम (2) में “610510” अंकों का लोप किया जाएगा;
- (xxiv) क्र०सं० 189 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“189क	610510	समस्त माल	20% या 83 रु०, जो भी अधिक हो, प्रति नग”;
-------	--------	-----------	--

- (xxv) क्र०.सं०.192 के समक्ष, कॉलम (4) में “10%” अंकों के लिए, “20%” अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxvi) क्र०.सं० 201 के समक्ष, कॉलम (2) में “610832” अंकों का लोप किया जाएगा;
- (xxvii) क्र०सं० 201 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“201क	610832	समस्त माल	20%”;
-------	--------	-----------	-------

- (xxviii) क्र०.सं०. 205, 206 और 208 के समक्ष, कॉलम (4) में “10%” अंकों के लिए, “20%” अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxix) क्र०.सं०.210 के समक्ष, कॉलम (2) में “6111” अंकों के लिए, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों “6111 (उप-शीर्षक 611120, 611190 को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxx) क्र०सं० 210 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“210क	611120, 611190	समस्त माल	20%”;
-------	----------------	-----------	-------

- (xxxi) क्र०.सं०.212 के समक्ष, कॉलम (2) में “6114, 6115, 6116, 6117” अंकों के लिए, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों “6114 (उप-शीर्षक 611430 को छोड़कर), 6115 (उप-शीर्षक 611510, 611529, और 611599 को छोड़कर), 6116 (उप-शीर्षक 611610 और 611699 को

छोड़कर), 6117 (उप-शीर्षक 611780 और 611790 को छोड़कर) को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxxii) क्र०सं० 212 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“212क	611430, 611529, 611610, 611780, 611790	611510, 611599, 611699,	समस्त माल	20%”;
-------	---	-------------------------------	-----------	-------

(xxxiii) क्र०सं०. 218, 229, 232, 234, 237, 238, 239, 246 और 249 के समक्ष, कॉलम (4) में “10%” अंकों के लिए, “20%” अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxxiv) क्र०सं०.250 के समक्ष, कॉलम (2) में “620443, 62044400” अंकों का लोप किया जाएगा;

(xxxv) क्र०सं० 250 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“250क	620443, 620444	समस्त माल	20% या 145 ₹0, जो भी अधिक हो, प्रति नग”;
-------	----------------	-----------	--

(xxxvi) क्र०सं०. 254, 255, 256, 257, 259, 262 और 263 के समक्ष, कॉलम (4) में “10%” अंकों के लिए, “20%” अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxxvii) क्र०सं०.274 के समक्ष, कॉलम (2) में “620990” अंकों का लोप किया जाएगा;

(xxxviii) क्र०सं० 274 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“274क	620990	समस्त माल	20%”;
-------	--------	-----------	-------

(xxxix) क्र०सं०. 277 और 278 के समक्ष, कॉलम (4) में “10%” अंकों के लिए, “20%” अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xl) क्र०सं०.285 के समक्ष, कॉलम (2) में “62121000, 621290” अंकों का लोप किया जाएगा;

(xli) क्र०सं० 285 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“285क	621210, 621290	समस्त माल	20% या 30 रू0, जो भी अधिक हो, प्रति नग”;
-------	----------------	-----------	--

- (xlii) क्र0.सं0.293 के समक्ष, कॉलम (2) में “6217” अंकों के लिए, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों “6217 (उप-शीर्षक 621710 को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xliii) क्र0सं0 293 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

“293क	621710	समस्त माल	20%”;
-------	--------	-----------	-------

- (xliv) क्र0.सं0. 297 और 298 के समक्ष, कॉलम (4) में “10%” अंकों के लिए, “20%” अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xliv) क्र0सं0 304 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“305	6310	समस्त माल	20%”;
------	------	-----------	-------

(फा.सं.-354/123/2017-टीआरयू (पार्ट))

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, सा.का.नि. संख्या 1341(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2018 सीमा शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 को सा.का.नि. संख्या 117(अ) द्वारा संशोधन किया गया था ।